

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प ...शवल खेड़ा

प्रकरण संख्या/ 682/21

दिनांक :- 27-10-2021

उनवान

श्री. नारायण पुत्र कजोड़ बैरवा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का शवल खेड़ा अ. नि. जहाजपुर एवं नायब तहसीलदार /तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हरनिया खेड़ा प. ह. शवल खेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 50 में प्रार्थीगण की प्रविष्टि नारायण पुत्र कजोड़ कुमार के स्थान पर नारायण पुत्र कजोड़ बैरवा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री. नारायण पुत्र कजोड़ बैरवा
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा